तारांकित 619 [21/12/2022] परिशिष्ट "अ"

कार्यालय संभागीय उप परिवहन आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / 09 / उ.परि.आ. / 2022
प्रति, रीवा, दिनांक 18.11.2022

परिवहन आयुक्त महोदय,
मध्यप्रदेश
हुरावली हिल, ग्वालियर

विषयः– विधान सभा अतारांकित प्रश्न कमांक 1479 के संबंध में गलत जानकारी दिये जाने बावत ।

संदर्भ:– आपका पत्र कमाक 5950 / शिका.ए / ओसी / 2022 ग्वालियर 4.11.2022

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा श्री नागेन्द्र सिंह, विधायक गुढ़ द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन परिवहन अधिकारी, रीवा के पत्र क्रमांक 1591 दिनांक 11.11.2022 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जिसमें प्रस्तुत कथन निम्नानुसार हैः–

1 बिन्दु कमांक (क) में लगाये गये आरोप सही नहीं है । आर.टी.ओ. उडनदस्ता (संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वाड) द्वारा मुख्यालय द्वारा जारी निरीक्षण रोस्टर अनुसार संभाग के सभी जिला में चेकिंग का कार्य किया जाता है। तथा परिवहन सुरक्षा स्क्वाड में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारी वाहनों के चेकिंग का कार्य सम्पादित करते है। प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा उडनदस्ता में चेकिंग का कार्य नहीं किया जाता है।

2 बिन्दु कमांक (ख) के संबंध में लेख है कि परिवहन सुरक्षा स्क्वाड द्वारा समय–समय पर विशेष अभियान चालाकर बसों के परमिट, फिटनेस, बीमा, पी.यू.सी आदि मोटरयान अधिनियम अन्तर्गत जॉच की जाती है । तथा अवैध संचालित वाहनों पर मोटरयान अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। जिसका पूर्ण विवरण भी विधान सभा अतारांकित प्रश्न कमांक 1479 के उत्तर में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार शिकायत में लगाये गये आरोप सही नही है।

3. विन्दु कमांक (ग) के संबंध में लेख है कि मेरे द्वारा मुख्यालय में रहकर कार्यालयीन समय पर शासकीय कार्य का सम्पादन किया जाता है। तथा आवश्यकता अनुसार वाहनों की चेकिंग एवं आयोजित बैटको में उपस्थित होना पडता है। 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को कार्यालय में ध्वजारोहण भी नहीं किया गया यह कहना सही नही है। कार्यालय में समय पर ध्वजारोहण किया गया। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में व्यवस्था हेतु उत्तरदयित्व सौपे जाते, कार्यालय के कार्य के साथ–साथ उसका भी निर्वहन करना पडता है। शासकीय वाहन के लागबुक में वास्तविक यात्रा ही दर्ज की गई है उसमे शासकीय धन का दुरूपयोग नहीं हुआ है वल्कि वाहन का न्यूनतम किराया ही भुगतान किया गया है। इस प्रकार शिकायत में लगाये गये आरोप निराधार है।

अतः शिकायत के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रीवा का प्रस्तुत कथन का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रस्तुत शिकायत निराधार एवं साक्ष्य विहीन होने के कारण बन्द किये जाने योग्य है।

18/11/2022

संभागीय उप-परिवहन आयुक्त,
रीवा संभाग, रीवा (म.प्र.)